


दिनांक

हुकम या-कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

9/7/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता  
अनुपस्थित। वादी एवं वादी अधिवक्ता को  
निपमानुसार तीन बार आवाजे लगाई गई, कोई  
उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी अधिवक्ता  
के उपस्थित नहीं आने पर ज-पापारट में पुनः एक  
बार आवाज लगाई गई। समय 5.50 PM से कुछ  
ही कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी  
अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी एवं  
उत्तर बाद अनारटि थाका 88, 89, 188 शकमान  
कारकाकी अधिवक्ता को अदम (अदम) अदम  
पेशी में खारिज किया जाया है। निरति करे  
इतनाप कुनाप गाना रिडी जर्जा वादी लो।  
पत्रावली लैनल शुमार लेकर  
दार्जिल दफ्तर ही तथा नम्बर से कम है।

  
9/7/25  
सहायक कलक्टर  
मीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

**न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा**

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.  
1. प्रेम देवी पत्नी रतन लाल उर्फ कालु आचार्य उम्र वयस्क निवासी पुर, तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

-वादीया

- बनाम
1. कमला पुत्री रोड़ा पत्नी रामकिशन जी आचार्य निवासी स्टेशन रोड़ गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
  2. प्रेम पुत्री रोड़ा अचारज पत्नी मदन लाल अचारज, उम्र वयस्क निवासी काछोला तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाड़ा
  3. बिहारी लाल पुत्र उगमा अचारज, निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
  4. उप पंजीयक महोदय भीलवाड़ा
  5. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, भीलवाड़ा (राज0)

- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
बाबत घोषणा, खातेदारी अधिकार, स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 4/2022 राजस्व वाद

वादी एवं वादी अधिवक्ता श्री अम्बालाल कुमावत अनुपस्थित - इस वाद में आज तारीख 09.07.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

  
(अरुण कुमार जैन)  
सहायक कलक्टर  
भीलवाड़ा  
भीलवाड़ा